न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक: /14–15/निगरानी   नि/3142/PBR/15

1– लाखन सिंह पुत्र पन्ना लाल निवासी बडागांव तहसील व जिला ग्वालियर

2– अजय पुत्र सीताराम निवासी बडांगाव तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

——— निगरानीकर्तागण

——— अपीलार्थी

प्रस्तुत आज दि. 17.9.15 को
17-9-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– पार्वतीबाई पत्नी बाबू सिंह निवासी ग्राम छैरा तहसील जौरा जिला मुरैना

——— प्रतिनिगरानीकर्ता

2– मीरा पत्नी सीताराम

3 सुन्दो वेवा पन्नालाल

4– अर्चना पुत्री सीताराम

5– अमर सिंह पुत्र गणुआ

6– सरदार सिंह पुत्र गणुआ

7– गुलजारी पुत्र मंशाराम

8– काशीबाई वेवा फदली

9– उमेश पुत्र फदली

10– निहाल पुत्र फदली सभी निवासीगण ग्राम बडांगव तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

——— फॉरमलप्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर मुरार सिटी ग्वालियर पारित प्रकरण कमांक 48/11–12 अपील पारित आदेश दिनांक 11–09–2015

श्रीमान्

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3142–पीबीआर / 15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–10–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक11–9–2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में नामांतरण आदेश पारित किया गया है और अनावेदिका क्रमांक 1 को व्यवहार न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिये उक्त आदेश अनावेदिका क्रमांक 1 पर बंधनकारी नहीं है । अनावेदिका क्रमांक 1 स्वर्गीय भूमिस्वामी पन्नालाल की पुत्री है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	